



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 44/2010

अपीलार्थी : मेसर्स जायसवाल स्टील प्रोसेसिंग

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील-1) एवं अन्य

निर्णय विचारार्थ

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

23-09-2011

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

में सहमत हूँ

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 26.09.2011 के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 44/2010

अपीलार्थी : मेसर्स जायसवाल स्टील प्रोसेसिंग
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील-1) एवं अन्य

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील अंतर्गत धारा 35-G, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,

1944

न्यायपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

उपस्थित : अपीलार्थी की और से श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की और से श्री भीष्म किंगर, अधिवक्ता।

(26 सितम्बर 2011 को घोषित)

सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश के अनुसार

1. यह वर्तमान अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सीईएसटीएटी") द्वारा पारित आदेश क्रमांक 917-



919/2009 एसएम (बीआर) दिनांक 6 अप्रैल, 2009 (अनुलग्नक-ए/1) से उद्धृत हुई है।

2. अपील को दिनांक 15 जुलाई, 2011 को निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्नों पर स्वीकार किया गया था :

(क) क्या माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण अपने आक्षेपित आदेश के कण्डिका 4.2 के माध्यम से, 12.12 मीट्रिक टन पिग आयरन और 153.36 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल की शुल्क मांग के संबंध में यह निष्कर्ष देने में न्यायसंगत था, जबकि दिनांक 15.02.2001 के कारण बताओ नोटिस में 12.12 मीट्रिक टन पिग आयरन की शुल्क मांग के लिए कोई नोटिस नहीं था, और रायपुर के आयुक्त (अपील) ने भी दिनांक 29.01.2007 के अपने अपील आदेश के कण्डिका 9 में यह अवधारित किया था, और इसलिए यह निष्कर्ष दिया था कि वर्तमान कार्यवाही के तहत कोई शुल्क देय नहीं है।

(ख) क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-एसी के तहत शास्ति स्वयमेव अधिरोपित होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, चंडीगढ़ बनाम पेप्सी फूड्स लिमिटेड* (2001) 1 एस.सी.सी. 601 में यह





प्रतिपादित किया गया है कि धारा 11-एसी के तहत शास्ति के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आपराधिक आशय या "आपराधिक मनःस्थिति (मेन्स रिया)" एक आवश्यक घटक है।

3. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ, 1985 की अनुसूची के अध्याय शीर्ष क्रमांक 7307 और 8607 के अंतर्गत आने वाले सी.आई. सॉकेट बी, सी.आई. सॉकेट सी, सी.आई. सोल प्लेट और सी.आई. ब्रेक ब्लॉक के निर्माण कार्य में संलग्न है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने 25 जून, 1999 को अपीलार्थी के कारखाना परिसर का दौरा किया। दौरे के समय उन्होंने पाया कि अपीलार्थी द्वारा संधारित आरजी-1 रजिस्टर में दर्ज शेष (रिकॉर्डेड बैलेंस) की तुलना में तैयार माल अधिक था। विवरण निम्नानुसार है:

सं. क्र.	वस्तु	आरजी-1 रजिस्टर के अनुसार	पंचनामा के अनुसार	वज़न	अंतर
1.	सी.आई. सॉकेट बी	860	3640	30 किग्रा	2780 नग (83.400)
2.	सी.आई. सॉकेट सी	57	692	48	635 नग (30.480)



3.	सी.आई. ब्लॉक 6158	ब्रेक	548 नग	2377	14 किग्रा	1829 (25.605)
4.	सी.आई. ब्लॉक 97022	ब्रेक	निरंक	50 नग	14.2 किग्रा	50 नग (0.710)
5.	सी.आई. टीपीएल 202	ब्रेक	निरंक	37 नग	14 किग्रा	37 नग (0.520)
6.	सी.आई. ब्लॉक 289	ब्रेक	3541	5250	14.2 किग्रा	1709 (24.780)
						165.495 मीट्रिक टन
7.	सी.आई. प्लेट	सोल	10258	3945	5.5 किग्रा	6313
8.	सी.आई. ब्लॉक 605	ब्रेक	1100	444	12.8 किग्रा	656 नग

कच्चा माल

1.	पिग आयरन	93 मीट्रिक टन	65 मीट्रिक टन	28 मीट्रिक टन
----	----------	---------------	---------------	---------------



2.	सी.आई. स्कल स्क्रेप	513.580 मीट्रिक टन	385 मीट्रिक टन	128.580 मीट्रिक टन
3.	रनर एवं राइजर क.फॉर्म-IV में ख.आरजी-1 में	31 मीट्रिक टन 11.570	31 मीट्रिक टन 25.000	निरंक (-) 13.430
4.	ब्लॉक प्लेट & क्लिप्स	21416 नग	21000 नग	416 नग

4. अपीलार्थी कंपनी के निदेशक श्री विनोद कुमार जायसवाल का कथन दिनांक 12 नवंबर, 1999 को अभिलिखित किया गया था (अनुलग्नक ए/3)।

अधिकारियों ने पुनः दिनांक 18 अगस्त, 2000 को कारखाना का दौरा किया

और भौतिक सत्यापन पर, कच्चा माल निम्नानुसार पाया गया:

वस्तु	अभिलेख के अनुसार	भौतिक सत्यापन	टिप्पणी
पिग आयरन	65.120 मीट्रिक टन	63	12.120(-)
सी.आई. स्कल स्क्रेप	245.995 मीट्रिक टन	92.635	153.360(-)



5. पहला कारण बताओ नोटिस दिनांक 24 दिसंबर, 1999 को जारी किया गया था। तत्पश्चात्, एक अन्य कारण बताओ नोटिस दिनांक 15 फरवरी, 2001 (अनुलग्नक ए/4) को जारी किया गया, जिसमें निम्नानुसार समाधान बताया गया :

वस्तु	अभिलेख के अनुसार	के समायोजित की जाने वाली कमी	समायोजन के बाद की स्थिति	भौतिक सत्यापन के अनुसार स्टॉक	टिप्पणी
पिग आयरन सी.आई.	65.120	28	37.120	53	15.880 (+)
स्कल	245.995	128.580	117.415	92.635	24.780(-)

6. यह पाया गया कि पिग आयरन अधिक था और सी.आई. स्कल स्क्रेप कम था। उपायुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभाग-II, भिलाई ने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के आदेश (अनुलग्नक - ए/6) द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि निम्नलिखित तैयार माल 25 जून, 1999 को अधिक पाया गया था और तदनुसार अधिकारियों द्वारा 25 जून, 1999 के पंचनामा के तहत उसे जब्त कर लिया गया था:



	विवरण	अधिकता	मूल्य	शुल्क (@16%)
(क)	सी.आई. सॉकेट 'बी'	(+) 2780 नग	7,25,580/ -	1,16,093/-
(ख)	सी.आई. सॉकेट 'सी'	(+) 635 नग	2,64,636/ -	42,342/-
(ग)	सी.आई. ब्रेक ब्लॉक	(+) 1829 नग	2,05,305/ -	32,849/-
(घ)	सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (97022)	(+) 50 नग	5,900/-	944/-
(ङ)	सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (टी.पी.एल.20 2)	(+) 37 नग	3,552/-	568/-
(च)	सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (289)	(+) 1709 नग	1,94,826/-	31,172/-
(छ)	सी.आई. रनर्स राइजर्स	(+)13.430 मीट्रिक टन	94,010/-	15,042/-



		योग	14,93,809	2,39,010/-
			/-	

7. एंकर प्लेट (तैयार माल) के 1203 नगों की कमी के संबंध में, जिसका मूल्य 68,571/- रुपए था और जिसमें 10,971/- रुपए का शुल्क निहित था, शुल्क के अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में "अधिनियम, 1944") की धारा 11-एसी के तहत 10,971/- रुपए का आज्ञापक शास्ति अधिरोपित किया गया था।

8. पिग आयरन के संबंध में:- 28.000 मीट्रिक टन पिग आयरन, जिसका मूल्य 1,86,900/- रुपए था और जिसमें 29,904/- रुपए का शुल्क निहित था, बही शेष से कम पाया गया। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, 29,904/- रुपए के शुल्क की मांग की पुष्टि की गई और इसके अतिरिक्त, शुल्क की राशि के बराबर शास्ति भी अधिरोपित किया गया। 15.880 मीट्रिक टन पिग आयरन जो बही शेष से अधिक पाया गया था, उसे मोचन शुल्क के भुगतान पर विमोचन हेतु अधिहरण किया गया।

9. सी.आई. स्कल स्क्रेप के संबंध में: यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी ने 128.580 मीट्रिक टन, सी.आई. स्कल स्क्रेप को 1,20,865/- रुपए के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना प्रदाय कर दिया था। इस प्रकार, केंद्रीय



उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में "नियम, 1944") के नियम 9(2) और 57-आई के साथ पठित धारा 11-ए के तहत शुल्क की मांग की पुष्टि की गई और शुल्क की राशि के बराबर शास्ति भी अधिरोपित किया गया। हालांकि, 153.360 मीट्रिक टन, सी.आई. स्कल स्क्रेप पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के कारण, 1,22,688/- रुपए का शुल्क और इसी सीमा तक शास्ति भी अधिरोपित किया गया।

10. बैंक प्लेट्स और क्लिप्स के संबंध में: 416 नग बैंक प्लेट्स और क्लिप्स की कमी भी पाई गई, जिसका मूल्य 3,744/- रुपए था और जिसमें 599/- रुपए का शुल्क निहित था। इस प्रकार, इतनी ही सीमा तक शुल्क और शास्ति अधिरोपित किया गया।

11. यह आगे पाया गया कि अपीलार्थी ने नियम, 1944 के नियम 9(1), 52-ए, 53, 173-एफ और 173-जी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, अपीलार्थी नियम, 1944 के नियम 173-क्यू के तहत शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी था। तदनुसार, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"1 (क) माल - सी.आई. सॉकेट 'बी' 2780 नग; सी.आई. सॉकेट 'सी' 635 नग; सी.आई. ब्रेक ब्लॉक 1829 नग; सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (97022) - 50 नग; सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (टी.पी.एल. 202) 37 नग; और सी.आई. ब्रेक ब्लॉक (289) - 1709 नग;



तथा सी.आई. रनर राइजर्स, जिनका कुल मूल्य 14,93,809/-
रुपए है और जिसमें 2,22,687/- रुपए का केंद्रीय उत्पाद शुल्क
निहित है, जिसे नोटिसी क्रमांक 1 के कारखाना परिसर में दिनांक
25.06.99 के पंचनामा के तहत जब्त किया गया था, उसे
पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क्यू के
तहत अधिहरण किया जाता है।

तथापि, मैं नोटिसी क्रमांक 1 को 3,50,000/- रुपए का
मोचन शुल्क का भुगतान करके उक्त जब्त माल को विमोचित
करने का विकल्प देता हूँ।

2 (क) दिनांक 25.06.99 को हुई 'सी.आई. सोल प्लेट्स'
(6313 नग) और 'सी.आई. ब्रेक ब्लॉक्स' (605) (656 नग) की
कमी के संबंध में 58,980/- रुपए की शुल्क मांग को एतद्द्वारा
पुष्ट किया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
की धारा 11ए के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944
के नियम 9(2) के तहत इसे नोटिसी क्रमांक 1 से वसूले जाने का
आदेश दिया जाता है।

(ख) नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क
अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत, उपर्युक्त रूप से पुष्ट





किए गए 58,980/- रुपए के शुल्क की राशि के बराबर आज्ञापक शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

3 (क) दिनांक 18.08.2000 के पंचनामा और दिनांक 15.02.2001 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार, 68,571/- रुपए मूल्य की एंकर प्लेटों के 1203 नगों की कमी पर 10,971/- रुपए के शुल्क की पुष्टि की जाती है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत इसे नोटिसी क्रमांक 1 से वसूले जाने का आदेश दिया जाता है।

(ख) नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत, उपर्युक्त रूप से पुष्ट किए गए 10,971/- रुपए के शुल्क की राशि के बराबर आज्ञापक शास्ति भी अधिरोपित किया जाता है।

4 (क) दिनांक 25.06.99 के पंचनामा के अनुसार 28 मीट्रिक टन पिग आयरन, जिसका मूल्य 1,86,900/- रुपए है, को गुप्त रूप से हटा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी कमी पाई गई थी। इस प्रकार, 29,904/- रुपए के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि को एतद्वारा नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध पुष्ट किया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की





धारा 11ए के तहत इसे उनसे वसूले जाने का आदेश दिया जाता है।

4 (ख) उपर्युक्त मद (ए) के तहत पुष्ट किए गए शुल्क की राशि, अर्थात् 29,904/- रुपए के बराबर आज्ञापक शास्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत नोटिसी क्रमांक 1 पर अधिरोपित किया जाता है।

(ग) दिनांक 18.08.2000 को अभिलेखित स्टॉक की तुलना में अधिक पाया गया 15.880 मीट्रिक टन पिग आयरन, जिसका मूल्य 1,15,924/- रुपए है, को अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि, मैं नोटिसी को 30,000/- (केवल तीस हजार रुपए) का मोचन शुल्क का भुगतान करके इसे विमोचित करने का विकल्प देता हूँ।

5 (क) 128.580 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल स्क्रेप पर नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध 1,20,865/- रुपए के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क मांग को पुष्ट किया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 9(2) और 57-आई के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत इसे नोटिसी क्रमांक 1 से वसूले जाने का आदेश दिया जाता है।





5(ख) उपर्युक्त राशि, अर्थात् 1,20,865/- रुपए के बराबर आज्ञापक शास्ति भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत नोटिसी क्रमांक 1 पर अधिरोपित किया जाता है।

6(क) दिनांक 18.08.2000 के पंचनामा में विस्तृत रूप से दर्शाई गई 153.360 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल स्क्रेप की कमी पर नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध 7,66,800/- रुपए मूल्य की 1,22,688/- रुपए की शुल्क मांग को पुष्ट किया जाता है

और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत इसे नोटिसी क्रमांक 1 से वसूले जाने का आदेश दिया जाता है।

6(ख) उपर्युक्त रूप से पुष्ट किए गए शुल्क की राशि, अर्थात् 1,22,688/- रुपए के बराबर आज्ञापक शास्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11एसी के तहत नोटिसी क्रमांक 1 पर अधिरोपित किया जाता है।

7(क) दिनांक 25.06.99 के पंचनामा के अनुसार भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए बैंक प्लेट्स और क्लिप्स, जिसका मूल्य 3,744/- रुपए है, पर 599/- रुपए की शुल्क





मांग को नोटिसी क्रमांक 1 के विरुद्ध पुष्ट किया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत इसे उनसे वसूले जाने का आदेश दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त मद (ए) के तहत पुष्ट किए गए शुल्क की राशि, अर्थात् 599/- रुपए के बराबर आज्ञापक शास्ति भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत नोटिसी क्रमांक 1 पर अधिरोपित किया जाता है।

8. मैं, जैसा कि उपर्युक्त चर्चा किया गया विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क्यू और 226 के तहत नोटिसी क्रमांक 1 पर 50,000/- रुपए का शास्ति अधिरोपित करता हूँ।

9. उपर्युक्त चर्चा किए अनुसार, पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 209-ए के तहत, श्री विनोद कुमार जायसवाल (नोटिसी क्रमांक 2) और निदेशक, मेसर्स जायसवाल स्टील प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई पर 50,000/- रुपए का व्यक्तिगत शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

10. नोटिसी क्रमांक 1, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 1-एबी के अनुसार, उपर्युक्त कण्डिका (1) से (7)





में धारा 1-ए के तहत निर्णीत और पुष्ट किए गए शुल्क पर लागू दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

12. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (अपील)-II, रायपुर (संक्षेप में "आयुक्त (अपील)") के समक्ष अपील में, आयुक्त (अपील) ने दिनांक 29 जनवरी, 2007 के आदेश (अनुलग्नक - ए/7) द्वारा यह अवधारित किया कि भौतिक सत्यापन के समय अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित था और उसने कारखाना में माल की मात्रा निर्धारण की पद्धति पर संतुष्टि व्यक्त की और कभी विरोध नहीं किया। आयुक्त (अपील) ने आगे निम्नानुसार अवधारित

किया:

"9... 18.08.2000 को पाई गई कमी को 25.06.99 को

पाए गए पिग आयरन की कमी के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। 18.08.2000 तक पिग आयरन की कमी को 12.120 मीट्रिक टन माना जाना चाहिए। परन्तु, मैं यह अवधारित करता हूँ कि ऐसी 12.120 मीट्रिक टन की कमी के लिए शुल्क की मांग हेतु कोई नोटिस नहीं है। अतः, वर्तमान कार्यवाही के तहत कोई शुल्क देय नहीं है। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 15.880 मीट्रिक टन की त्रुटिपूर्ण अधिक मात्रा के लिए, पिग





आयरन की इस मात्रा की अधिहरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए, यह अधिहरण अपास्त किए जाने योग्य है।"

"कण्डिका 10 में..... में निम्नलिखित कमियों पर शुल्क की मांग को बरकरार रखता हूँ, सी.आई. सोल प्लेट्स के 6313 नगों और सी.आई. ब्रेक ब्लॉक्स के 656 नगों की कमी पर 58,980/- रुपए का शुल्क; एंकर प्लेटों के 1203 नगों की कमी पर 10,971/- रुपए का शुल्क; पिग आयरन के 28 मीट्रिक टन की कमी पर 29,904/- रुपए का शुल्क; सी.आई. स्कल स्क्रेप के 128.580 मीट्रिक टन की कमी पर 1,20,865/- रुपए का शुल्क; सी.आई. स्कल स्क्रेप के 153.360 मीट्रिक टन की कमी पर 1,22,688/- रुपए का शुल्क; और बैक प्लेट्स और क्लिप्स की कमी पर 599/- रुपए का शुल्क। अपीलार्थी ब्याज सहित यह राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। यह भी देखा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11एसी के तहत अपीलार्थियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि अपीलार्थी इन कमियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए। इसलिए, मैं धारा 11एसी के तहत लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखता हूँ। तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निम्नलिखित





जुर्माने घटाए जाते हैं: 58,980/- रुपए से घटाकर 20,000/- रुपए किया जाता है; 10,971/- रुपए से घटाकर 4,000/- रुपए किया जाता है; 29,904/- रुपए से घटाकर 12,000/- रुपए किया जाता है; 1,20,865/- रुपए से घटाकर 50,000/- रुपए किया जाता है; 1,22,688/- रुपए से घटाकर 50,000/- रुपए किया जाता है; 599/- रुपए से घटाकर 200/- रुपए किया जाता है। नियम 173क्यू के तहत पाई गई अधिक मात्राओं के लिए अधिरोपित शास्ति और नियम 226 के तहत अभिलेखों का हिसाब न देने के लिए अधिरोपित शास्ति को बरकरार रखा जाता है , परन्तु यह शास्ति घटाकर 20,000/- रुपए कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मोचन शुल्क 3,50,000/- रुपए से घटाकर 50,000/- रुपए कर दिया जाता है। इसके अलावा, 15.880 मीट्रिक टन पिग आयरन की अधिहरण को अपास्त कर दिया जाता है। जहाँ तक द्वितीय अपीलार्थी पर लगाए गए 50,000/- रुपए के शास्ति का संबंध है, यह अवधारित किया जाता है कि इस मामले में द्वितीय अपीलार्थी ने अपीलार्थियों से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया है। जब ऐसी स्थिति है, तो नियम 20-ए के तहत अलग से शास्ति अधिरोपित करने का कोई प्रश्न ही नहीं





उठता है। द्वितीय अपीलार्थी पर लगाया गया यह 50,000/- रुपए का शास्ति अपास्त किया जाता है।

13. सीईएसटीएटी ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, पूरे विवादकों की पुनः जाँच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माल की कमी के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था। इस प्रकार, इसने कमी के संबंध में शुल्क और ब्याज के भुगतान के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष को बरकरार रखा।

14. 18 अगस्त, 2000 को पाई गई 12.12 मीट्रिक टन सेनवेट लाभ वाले पिग आयरन और 153.36 मीट्रिक टन सेनवेट लाभ वाले सी.आई. स्कल स्क्रेप की कमी के संबंध में, अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा की गई शुल्क मांग को भी बरकरार रखा गया।

15. दिनांक 25 जून, 1999 को पाए गए 28 मीट्रिक टन पिग आयरन और 128.58 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल की शुल्क मांग के संबंध में, सीईएसटीएटी ने निम्नानुसार निष्कर्ष दिया:

"5.... अधिक पाया गया तैयार माल, कच्चे माल पिग आयरन और सी.आई. स्कल स्क्रेप की कमी से विनिर्मित किया गया है, और इसलिए, जब तैयार उत्पादों के संबंध में शुल्क की मांग की गई है, तो कच्चे माल की कमी के संबंध में शुल्क की



मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, पिग आयरन और सी.आई. स्कल की कमी के संबंध में 1,50,769/- रुपए की शुल्क मांग को अपास्त किया जाता है। तथापि, चूंकि 416 बैक प्लेट और क्लिप्स की कमी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उसके संबंध में शुल्क की मांग को बरकरार रखा जाता है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धारा 11एसी के तहत अपीलार्थी कंपनी पर अधिरोपित शास्ति बरकरार रखा जाता है।"



"6. तैयार माल और सेनवेट लाभ वाले इनपुट की अधिक मात्रा पाए जाने की अधिहरण के संबंध में, चूंकि इसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाता है।"

इस प्रकार, अपील को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया गया था।

16. हमने दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, और अभिवचनों तथा उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।
17. प्रश्न (क) के संबंध में, अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि आयुक्त (अपील) ने स्पष्ट रूप से पाया था कि 12.12 मीट्रिक टन की कमी के लिए शुल्क के भुगतान हेतु कोई नोटिस जारी



नहीं किया गया था और इस प्रकार कोई शुल्क देय नहीं था, तथ्यों के विपरीत है और आयुक्त (अपील) ने भी इस तथ्य को सही ढंग से दर्ज नहीं किया था।

18. अपीलार्थी को दिनांक 15 फरवरी, 2001 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अतिरिक्त आयुक्त ने तथ्यों पर विचार किया और यह निष्कर्ष दिया कि क्रमशः 3,55,471/- रुपए और 2,92,375/- रुपए मूल्य का 56.424 मीट्रिक टन पिग आयरन और 58.575 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल फॉर्म IV/आर.जी-23 भाग-I में समायोजित दर्ज स्टॉक से अधिक पाया गया था, जिसे नियम, 1944 के नियम 17क्यू (1) के तहत अधिहरण करने का आदेश दिया गया, जिसमें मोचन शुल्क के भुगतान पर विमोचन का विकल्प दिया गया था।

19. दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के आदेश के कण्डिका 1.5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 12.12 मीट्रिक टन की कमी के विपरीत पिग आयरन और सी.आई. स्कल स्क्रेप के अधिक स्टॉक के आधार पर, दिनांक 15 फरवरी, 2001 को नियम, 1944 के नियम 173-क्यू (1) के तहत कथित अधिक स्टॉक की अधिहरण के लिए और उसी नियम के तहत उन पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।



20. दिनांक 15 फरवरी, 2001 का कारण बताओ नोटिस अभिलेख का हिस्सा है।

उक्त नोटिस में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:

"7. अब, इसलिए, मेसर्स जायसवाल स्टील प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, 178बी, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई (नोटिसी) को एतद्वारा अतिरिक्त आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष कारण बताने हेतु आहूत किया जाता है कि:

(क) दिनांक 15.01.2001 के पंचनामा के तहत

जब्त किए गए 15.880 मीट्रिक टन पिग आयरन (इनपुट) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क्यू के तहत अधिहरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

(ग) केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 1,22,688/- रुपए (केवल

एक लाख बाईस हजार छह सौ अट्ठासी रुपए) की राशि, जो

153.36 मीट्रिक टन सी.आई. स्कल (इनपुट) पर लिए गए

सेनवेट क्रेडिट की राशि के बराबर है, जो 18.08.2000 को स्टॉक





के भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाया गया और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57एबी के प्रावधानों के उल्लंघन में शुल्क का भुगतान किए बिना हटाया गया प्रतीत होता है, उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57एच के तहत पुष्ट और वसूल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। "

(घ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 9(1), 53, 57एई और 173जी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, उक्त नियमावली के नियम 173क्यू के तहत उन पर शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए।"

21. कारण बताओ नोटिस में नोटिस की मांग शामिल है, और इस प्रकार, आयुक्त (अपील) के निष्कर्ष को सीईएसटीएटी द्वारा सही रूप से बरकरार नहीं रखा गया और सीईएसटीएटी यह निष्कर्ष देने में न्यायसंगत था कि 12.12 मीट्रिक टन सेनवेट लाभ वाले पिग आयरन और 153.36 मीट्रिक टन सेनवेट लाभ वाले सी.आई. स्कल स्क्रेप की कमी के संबंध में भुगतान को 25 जून, 1999 को इस मद के संबंध में पाई गई कमी को समायोजित करने के बाद पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रश्न (क) का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाता है।





22. प्रश्न (ख) के संबंध में, अधीनस्थ प्राधिकारियों और सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा आशय या आपराधिक मनः स्थिति के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया गया था।

23. अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी निम्नानुसार है :

"11एसी. - कुछ मामलों में शुल्क के कम उद्ग्रहण या गैर-उद्ग्रहण के लिए शास्ति (शास्ति)। जहाँ कपट, दुरभिसंधि या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने, अथवा शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के कारण उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है अथवा कम संदत्त किया गया है या त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिदत्त किया गया है, वहाँ वह व्यक्ति जो धारा 11-ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे अवधारित शुल्क के बराबर शास्ति (शास्ति) का संदाय करने के लिए भी दायी होगा:





परंतु यह कि जहाँ धारा 11-ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत यथा अवधारित ऐसा शुल्क, और धारा 11-एबी के अंतर्गत उस पर संदेय ब्याज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के ऐसे शुल्क को अवधारित करने वाले आदेश के संसूचित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, तो इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय शास्ति (शास्ति) की राशि इस प्रकार अवधारित शुल्क के पच्चीस प्रतिशत होगी:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अंतर्गत कम की गई शास्ति का लाभ तब उपलब्ध होगा जब इस प्रकार अवधारित शास्ति की राशि भी उस परंतुक में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दी गई हो:

परंतु यह भी कि जहाँ संदेय अवधारित शुल्क को आयुक्त (अपील), अपीलीय अधिकरण, या यथास्थिति, न्यायालय द्वारा घटाया या बढ़ाया जाता है, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, घटाया या बढ़ाया गया शुल्क ही हिसाब में लिया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसे मामले में जहाँ संदेय अवधारित शुल्क को आयुक्त (अपील), अपीलीय अधिकरण, या यथास्थिति,





न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाता है, तो पहले परंतुक के अंतर्गत कम की गई शास्ति का लाभ तब उपलब्ध होगा, यदि इस प्रकार बढ़ाए गए शुल्क की राशि, उस पर संदेय ब्याज और शास्ति की परिणामस्वरूप वृद्धि के पच्चीस प्रतिशत का संदाय भी उस आदेश के संसूचित होने के तीस दिन के भीतर कर दिया गया हो जिसके द्वारा शुल्क में ऐसी वृद्धि प्रभावी होती है।

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह

घोषित किया जाता है कि:

(1) इस धारा के प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होंगे

जिनमें धारा 11-ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत शुल्क को अवधारित करने वाला आदेश, उस तारीख से पहले जारी किए गए नोटिसों से संबंधित है जिस तारीख को वित्त अधिनियम, 2000 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है;

(2) पहले परंतुक या चौथे परंतुक में निर्दिष्ट आदेश के संसूचित होने की तारीख से पहले केंद्र सरकार के खाते में जमा की गई कोई भी राशि, ऐसे व्यक्ति से देय कुल राशि के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।





24. अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के केवल पढ़ने मात्र से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ कपट, दुरभिसंधि या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने, अथवा शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के कारण उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क उद्घृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्घृहीत किया गया है अथवा कम संदत्त किया गया है या त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिदत्त किया गया है, वहाँ वह व्यक्ति जो धारा 11-ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे अवधारित शुल्क के बराबर शास्ति (शास्ति) का संदाय करने के लिए भी दायी होगा।

25. इस प्रकार, यह जाँच करना और निष्कर्ष देना आवश्यक है कि क्या कम-उद्ग्रहण या कम-भुगतान जानबूझकर किया गया मिथ्या कथन था या क्या अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन शुल्क के भुगतान से बचने के आशय से किया गया था, और इसके लिए मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थी या विभाग द्वारा अभिवचन और विवाद्यकों को उठाए जाने चाहिए। किसी भी स्तर पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।



26. सर्वोच्च न्यायालय ने 'यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम धर्मद्र

टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एवं अन्य' में निम्नानुसार अवधारित किया:

"18. आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(ग) से संलग्न स्पष्टीकरण, विवरणी (रिटर्न) दाखिल करते समय छिपाव या गलत विवरण देने के लिए निर्धारिती पर कठोर दायित्व के तत्व को पूरी तरह से इंगित करते हैं। दिलीप एन. श्रॉफ मामले में दिए गए निर्णय में आयकर अधिनियम की धारा 276-(ग) के प्रभाव और सुसंगीता पर विचार नहीं किया गया है। धारा 271(1)(ग) को उसके स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ने पर उसके अधिनियमन का उद्देश्य यह इंगित करता है कि उक्त धारा राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए एक उपाय प्रदान करने हेतु अधिनियमित की गई है। उस प्रावधान के तहत अधिरोपित किया गया शास्ति एक सिविल दायित्व है। जानबूझकर छिपाव सिविल दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 276-(ग) के तहत अभियोजन के मामले में होता है।

19. अधिनियम की धारा 11-एसी को 1996-1997 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। इसने स्थिति स्पष्ट कर दी है



कि किसी भी विवेकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय बजट के कण्डिका-136 में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शास्ति का उद्ग्रहण एक आज्ञापक शास्ति है। खंडों के टिप्पणियों में भी इसी तरह का संकेत दिया गया है।"

27. *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स* के मामले

में, जिसमें *धर्मेन्द्र टेक्सटाइल प्रोसेसर्स* (पूर्वोक्त) पर विचार किया गया था और

निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

"32 उपर्युक्त से, हम यह समझने में विफल हैं कि

धर्मेन्द्र टेक्सटाइल के निर्णय को यह निष्कर्ष देने वाला कैसे कहा

जा सकता है कि धारा 11-एसी शुल्क के भुगतान न होने या कम

भुगतान के प्रत्येक मामले पर लागू होगी, भले ही उसके

अनुप्रयोग के लिए धारा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तें मौजूद न

हों। यह निष्कर्ष देने का एक और बहुत मजबूत कारण है कि

धर्मेन्द्र टेक्सटाइल ने धारा 11-एसी की व्याख्या उस तरीके से

नहीं की होगी जैसा सुझाया गया है, क्योंकि उस मामले में

राजस्व का भी यह रुख नहीं था।



34. इसलिए, धर्मेद्र टेक्सटाइल के निर्णय को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि यद्यपि धारा 11-एसी का अनुप्रयोग धारा में स्पष्ट रूप से बताए गए शर्तों के अस्तित्व या अन्यथा पर निर्भर करेगा, एक बार जब धारा किसी मामले में लागू हो जाती है, तो संबंधित प्राधिकारी को राशि निर्धारित करने में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा और शास्ति धारा 11-ए की उप-धारा (2) के तहत अवधारित शुल्क के बराबर लगाई जानी चाहिए। धर्मेद्र टेक्सटाइल का निर्णय यही स्थापित करता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि धर्मेद्र टेक्सटाइल के निर्णय के संबंध में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह केवल धारा 11-एसी के संबंध में है। हम उस निर्णय में विचार (वास्तव में, उसके लिए कोई अवसर नहीं है!) के लिए आए कई अन्य सांविधिक प्रावधानों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

28. सर्वोच्च न्यायालय ने **कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, चंडीगढ़ बनाम पेप्सी**

फूड्स लिमिटेड³ में निम्नानुसार विचार व्यक्त किया:

"21. उपर्युक्त धारा के अवलोकन करने पर , विशेष रूप से रेखांकित भाग से, यह स्पष्ट है कि धारा 11-एसी के तहत शास्ति प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, आपराधिक आशय



या "आपराधिक मनः स्थिति" एक आवश्यक घटक है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तरवादी द्वारा लिया गया रुख यह है कि वह शुल्क का भुगतान कर रहा था और शुल्क के भुगतान से बचने का उसका कोई दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं था। उसका आगे का आधार यह है किकारखाना से माल केवल शुल्क के भुगतान पर ही निकाला गया था। कारण बताओ नोटिसों के जवाब में लिए गए इस आधार को मूल आदेश में गलत नहीं पाया गया। इस प्रकार, मूल आदेश के तहत शुल्क की बराबर राशि का शास्ति कायम नहीं रखा जा सकता।"

"22. यह सुस्थापित है कि जब संविधियाँ कोई अपराध

सृजित करती हैं और अपराध का एक घटक कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा शुल्क की चोरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास होता है, तो विधि को ऐसे अपराध के एक आवश्यक घटक के रूप में "आपराधिक मनः स्थिति" की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कारण बताओ नोटिस में राजस्व द्वारा उत्तरवादी के विरुद्ध वास्तव में कोई कपट या तथ्यों को छिपाने या दुर्व्यपदेशन का आरोप नहीं लगाया गया हो, तो धारा 11-एसी के तहत शास्ति अधिरोपित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"





29. अतः, इस विवाद्यक पर विधि सुस्थापित है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित मामलों में निर्धारित किया गया है, कि अधिनियम, 1944 की धारा 11-एसी के तहत शास्ति के लिए आवश्यक घटक शुल्क के भुगतान से बचने का निर्धारिती का आशय है। विचाराधीन मामले में, चूंकि शुल्क के भुगतान से बचने के आशय या आपराधिक मनः स्थिति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए शास्ति अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न (ख) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

30. उपर्युक्त वर्णित कारणों से, शुल्क के भुगतान से बचने के आशय या आपराधिक मनः स्थिति के आवश्यक घटक को निर्धारित किए बिना अधिनियम, 1944 की धारा 11-एसी के तहत शास्ति अधिरोपित करना को अभिखंडित किया जाता है। तथापि, विभाग को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और अपीलार्थी की ओर से शुल्क के भुगतान से बचने के आशय या आपराधिक मनः स्थिति के विवाद्यकों पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, शास्ति अधिरोपित करने के प्रश्न का पुनः निर्धारण करे।

31. परिणामस्वरूप, वर्तमान कर प्रकरण को ऊपर इंगित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

32. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।



सही/-

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate